राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या-201/2005

प्रेम सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं हरी सिंह व अन्य

दिनांक-**05.12.2007**

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री एम एस गुर्जर, अधिवक्ता,परिवादी- निगरानीकर्ता की ओर से

--

परिवादी-निगरानीकर्ता प्रेम सिंह की ओर से यह निगरानी याचिका अपर सेशन न्यायाधीश, खेतड़ी द्वारा आपराधिक नियमित अपील संख्या-18/2003 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 23.11.2004 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला-झूंझनूं द्वारा दाण्डिक मूल प्रकरण संख्या 428/98 में पारित निर्णय दिनांक 25.6.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी- अभियुक्तगण की धारा 341,323 व 324 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की दोष सिद्धी को पुष्ट करने के साथ ही कारावास व जुर्माने की सजा को अपास्त करते हुए उन्हें धारा-4 परीविक्षा अधिनिमय के अन्तर्गत जमानत-मुचलके पेश करने आदेश दिया साथ ही आहत प्रदीप कुमार को प्रत्येक अभियुक्त से 500-500/- रूपये दिलाये जाने का भी आदेश दिया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता को इस निगरानी की ग्राहयता पर सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय सामग्री का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से यही तर्क दिया गया है कि विपक्षी-अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भी दोष सिद्ध हो चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें परीविक्षा का लाभ दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

हमने उनके उक्त तर्क की रोशनी में आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तगण की पूर्व में की गयी दोष सिद्धी के संदर्भ में कोई दस्तावेज अन्वीक्षा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही ऐसा कोई तर्क ही अन्वीक्षा

न्यायालय के समक्ष लिया जाना आक्षेपित निर्णय से परिलक्षित हो रहा है।

इन परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति व प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, उसमें कोई विधि विरूद्धता अथवा अनुचितता परिलक्षित नहीं हो रही है।

फलस्वरूप इस निगरानी याचिका में कोई सार नहीं होने के कारण इसे इसी प्रक्रम पर निरस्त किया जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)